

होटल/मोटल, गेस्ट हाऊस के मान्यता के पूर्व आवश्यक
कागजात की छाया प्रति एवं शुल्क का चेक लिस्ट।

- जमीन की कागजात का छायाप्रति।
- दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र
- संचालन का पहचान पत्र (सचित्र) पूरा पता के साथ
- होटल टैरिफ/दर
- 15 कमरों तक 3000/- हजार का डी0डी0, 15 से अधिक
कमरों के लिए 5,000/- (पाँच हजार) का डी0डी0 निदेशक
पर्यटन, बिहार के पदनाम से (शुल्क के रूप में)।
- होटल में पर्यटकों की सुविधाओं का विवरण
- आवेदन विहित प्रपत्र में

बिहार सरकार
पर्यटन निदेशालय

संकल्प संख्या-प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि० पटना, दिनांक 27/7/2012

संकल्प

विषय :- होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।
पर्यटन निदेशालय, बिहार ने होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने के लिए विभागीय नियम एवं शर्तों के अधीन निम्न संशोधन किया गया है :-

1. होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को मान्यता देने के क्रम में इसे दो श्रेणियों में रखकर मान्यता शुल्क लिया जायेगा। श्रेणी A में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 ठहरने योग्य कमरों से अधिक हों तथा ए०सी० कमरा उपलब्ध हो, ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 5000/- रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।
श्रेणी B में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 या 15 कमरों से कम हो ऐसे होटल, मोटल, रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 3000/- रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।
 2. प्रथम बार मान्यता पूर्व की तरह तीन वर्षों के लिए दिया जायेगा तथा उपर्युक्त श्रेणियों के लिए कर्णांकित राशि अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के मामले में भी क्रमशः 5000/- एवं 3000/- रु० रखा गया है।
 3. शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ निदेशक, पर्यटन, बिहार के नाम से देय होगा।
- आदेश :- दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्वसाधारण को सूचनाार्थ प्रकाशित की जाय एवं इस गजट की 100 प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-156 दिनांक 17.01.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि० पटना, दिनांक 27/7/2012
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि अगले बिहार गजट के असाधारण अंक में इसका प्रकाशन कराया जाय।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि० पटना, दिनांक 27/7/2012
प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि० पटना, दिनांक 27/7/2012
प्रतिलिपि :- सभी पदाधिकारी, पर्यटन निदेशालय/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केंद्र एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

पर्यटन निदेशालय

संकल्प

संख्या-प्रो0डे0को0-20 / 2005.....प.नि.,पटना दिनांक.....2009

पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त (accredited) होटल, होटल व्यवसाय के लिए अत्यन्त लाभकारी होते हैं। पर्यटन साहित्यों के लगातार प्रकाशन एवं वितरण के द्वारा पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त होटलों का प्रचार-प्रसार (publicity) पूरे संसार में हो जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त होटल, विदेशी मुद्रा विनियमन के लिए भी आसानी से अनुज्ञप्ति व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के हो जाने के पश्चात संबंधित होटल, विदेशी पर्यटकों/यात्रियों को आसानी से आकृष्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विदेशी पर्यटक/यात्री को विदेशी मुद्रा विनियमन की आवश्यकता होती है।

पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा होटल को मान्यता प्रदान करने की नियमावली पूर्व से निर्धारित है। लोकहित एवं कार्यहित में इसे पुनः प्रकाश में लाया जा रहा है।

अर्हता

1. होटल की रूप रेखा एवं संरचना अच्छी हो। आसपास का पर्यावरण एवं रास्ता उपयुक्त हो।
2. संबंधित होटल में 10 (दस) कमरे ऐसे हों जिन्हें किराये पर दिया जा सके और 50 % कमरों के साथ शौचालय एवं स्नान घर संलग्न (attach) हों। शेष कमरों के लिए पर्याप्त मात्रा में शौचालय एवं स्नानागार हों शौचालयों में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हो।
3. कमरे well ventilated होने चाहिए तथा उनमें अच्छी गुणवत्ता का बिछावन एवं अन्य उपस्कर हो।
4. होटल में दूरभाष सहित एक reception counter हों। दूरभाष की सुविधा इसमें रहने वाले अतिथियों को मांग और भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।
5. होटल में साफ-सुथरा एवं आधुनिक सज्जा से युक्त भोजनालय/रेस्तराँ हो जिसमें अच्छी गुणवत्ता के रुचिकर भोजन, मांग एवं भुगतान के आधार पर परोसा जा सके।
6. होटल के कर्मचारी अनुभवी, अतिथि परायण तथा दक्ष हों।
7. होटल का रख-रखाव उच्चतम स्तर का हो जिसमें चादर, तौलिए, कम्बल, crockery, cutlery एवं glassware आदि अच्छी गुणवत्ता के एवं साफ-सुथरे हों।
8. होटल द्वारा Visitor Book रखते हुए इसमें अग्रिम आरक्षण की सुविधा हो।

नियामक शर्तें

1. होटल, पर्यटन निदेशालय को यथा वाञ्छित निर्धारित प्रपत्र में प्रति माह आँकड़ों का प्रेषण करेगा।
 2. पर्यटन निदेशालय के पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी होटल की जाँच एवं निरीक्षण के लिए हर समय सक्षम होंगे।
 3. प्रत्येक कमरे के सामने उसका दर इस प्रकार प्रदर्शित किया जायेगा कि वह आसानी से देखा जा सके।
 4. होटल द्वारा किये गये आरक्षण को उनके द्वारा निरस्त नहीं किया जायेगा।
 5. होटल कुल कमरों का अधिकतम 15 % कमरा ही स्थाई रूप से किसी एक व्यक्ति/ संस्था/फर्म को उपलब्ध करायेगा।
 6. होटल, पर्यटन निदेशालय, बिहार को होटल में दी जा रही प्रत्येक सुविधाओं, हटाई जा रही प्रत्येक सुविधाओं, होटल की संरचना में किए जाने वाले या किए गए सभी परिवर्तनों की सूचना देगा।
 7. होटल अपने स्तर से प्रतिवर्ष 31, दिसम्बर तक पर्यटन निदेशालय को निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध करायेंगे:-
 - (क) होटल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लाभ-हानि तथा अन्तः शेष की अधिकृत विवरणी।
 - (ख) Single तथा Double कमरे एवं Suits में बिछावनों की संख्या।
 - (ग) कार्यालय/निजी आवास के प्रयोजन से स्थायी/अर्द्धस्थायी आधार पर दिये गये कमरों की संख्या।
 - (घ) दर तालिका।
- उपरोक्त अंकित शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन किये जाने पर पर्यटन निदेशालय द्वारा संबंधित होटल को दी गयी मान्यता वापस ले ली जायेगी।

होटल प्रबन्धन, निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार को निम्नांकित सूचनाएँ देते हुए मान्यता प्रदान करने का आवेदन समर्पित करेंगे:-

1. होटल का नाम
2. होटल में Single, Double कमरों एवं Suits तथा Dormitory की संख्या
3. शौचालय एवं स्नानागारों की कुल संख्या
4. कमरों, शौचालयों एवं स्नानागारों तथा Dining Hall का आकार
5. दूरभाष संख्या
6. होटल में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी
7. होटल प्रबन्धक एवं अन्य कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
8. होटल कब से कार्यरत है
9. होटल का कुल क्षेत्रफल
10. होटल में उपलब्ध सुविधाएँ

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/सभी विभाग के प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

To,

The Director of Tourism,
Government of Bihar, Patna-800005.

Subject: - Approval /Renewal of Hotel.

Sir,

I request you to grant recognition/Renewal to my hotel.....

Located at..... The necessary details about the hotel is enclosed in the prescribed proforma. I promise to abide by the terms and regulatory conditions proscribed by you. Also promise to forward to your returns of the hotel in time.

Yours faithfully

1. Name & Address of the Hotel.....

2. Total no. of Rooms:-.....

Double

Single

Others

(i) A.C..... (i) A.C..... (i) A.C.....

(ii) Non A.C..... (ii) Non A.C..... (ii) Non A.C.....

3. Total no. of bathrooms.....

4. Size of rooms, bathrooms and dining halls.....

5. Telephone/Fax/mob.No/email. ID.....

6. Strength of staffs.....

7. Qualification and experience of Manager and other staff.....

8. Since when the hotel is functioning.....

9. Total area of the hotel.....

10. Restaurant facilities.....

11. Other facilities.....

Yours faithfully

Date.....